लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2791

जिसका उत्तर बुधवार, 06 अगस्त, 2025 को दिया जाएगा

आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें

2791. श्री कंवर सिंह तंवर:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्री विद्युत वरन महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री धर्मवीर सिंह:
श्री नव चरण माझी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रूझानों की निगरानी करती है;
(ख) आवश्यक खाद्य पदार्थों/वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण है;
(ग) सरकार द्वारा अब तक आवश्यक खाद्य पदार्थों/वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) पिछले दस वर्षों के दौरान मूल्य निगरानी प्रणाली के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;
(ड.) मूल्यों की निगरानी के कवरेज में वृद्धि किस प्रकार मूल्य अस्थिरता के प्रबंधन में सहायता करती है;
(च) मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की तिथि क्या है और इसने दालों और प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने में किस प्रकार सहायता की है; और
(छ) जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्यों के साथ समन्वय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग) : उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, देश भर के 566 मूल्य निगरानी केंद्रों द्वारा प्रस्तुत 38 खाद्य वस्तुओं की दैनिक कीमतों की निगरानी करता है। आँकड़ों के अनुसार, आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर और नियंत्रण में हैं।

खाद्य वस्तुओं की कीमतें अस्थिर होती हैं क्योंकि वे कई कारकों से प्रभावित होती हैं जैसे उत्पादन में मौसमीपन, प्रतिकूल मौसम की स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जमाखोरी और कालाबाजारी से उत्पन्न कृत्रिम कमी, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि आदि। कभी-कभी आपूर्ति श्रृंखला में मामूली व्यवधान या प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण फसल की क्षति आदि से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उछाल आता है। इसके विपरीत, थोक आवक और लॉजिस्टिक्स समस्याओं से बाजार में अधिकता की स्थिति उत्पन्न होने और परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आने की संभावना होती है।

सरकार अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) द्वारा नियमित समीक्षा के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के उत्पादन और उपलब्धता पर कड़ी नज़र रखती है। समिति नियमित आधार पर आवश्यक कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों और मूल्य रुझानों की स्थिति की समीक्षा करती है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात के माध्यम से उपलब्धता बढ़ाने के उपाय सुझाती है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए, सरकार बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अंशांकित और लक्षित तरीके से रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप के लिए दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाए रखती है। बफर स्टॉक से दालों के एक हिस्से को 2023-24 और 2024-25 के दौरान भारत दाल ब्रांड के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर खुदरा बिक्री के लिए दालों में परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार, भारत ब्रांड के तहत खुदरा उपभोक्ताओं को आटा और चावल रियायती मूल्य पर वितरित किए जाते हैं। उच्च मूल्य उपभोग केंद्रों में कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज को सितंबर से दिसंबर 2024 के दौरान थोक बाजारों और खुदरा दुकानों के माध्यम से अंशांकित और लक्षित तरीके से जारी किया गया था। प्रमुख उपभोग केन्द्रों में खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं के बीच 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज वितरित किया गया। इन उपायों से आम उपभोक्ताओं को आवश्यक खाद्य वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करवाने में मदद मिली है और जून, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति दर को वर्ष-दर-वर्ष (-) 1.06 %तक लाने में मदद मिली है जो जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है।

(घ) और (ङ): पिछले दस वर्षों में मूल्य निगरानी के अंतर्गत वस्तुओं का कवरेज 22 से बढ़कर 38 हो गया तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या 100 से बढ़कर 566 हो गई। पिछले दस वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य निगरानी के कवरेज में कवर की गई वस्तुओं की संख्या और मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या का विस्तार नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वर्ष	**मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या**	**वस्तुओं की संख्या**
2016-17	100	22
2017-18	101	22
2018-19	109	22
2019-20	114	22
2020-21	135	22
2021-22	179	22
2022-23	483	22
2023-24	550	22
2024-25	555	38
2025-26	566	38

मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या में विस्तार से देश भर में मूल्य रुझानों पर नज़र रखने और अखिल भारतीय औसत दैनिक मूल्य आंकड़ों को अधिक प्रतिनिधित्व देने में मदद मिली है। कवर की गई वस्तुओं की संख्या में विस्तार से यह सुनिश्चित हुआ कि घरेलू उपभोग की अधिक खाद्य वस्तुओं की कीमतें दैनिक मूल्य निगरानी के अंतर्गत आ गई हैं। इसके अलावा, अधिक समावेशी और प्रतिनिधि दैनिक मूल्य डेटा खुदरा मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करता है।

(च) मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) स्कीम 2014-15 में स्थापित की गई थी जिसका मूल उद्देश्य कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाना तथा आवश्यक खाद्य वस्तुओं को किफायती मूल्य पर उपलब्ध करवाना था। पीएसएफ स्कीम के अंतर्गत, अंशांकित और लक्षित तरीके से वितरण के लिए दालों और प्याज का कार्यनीतिक बफर स्टॉक रखा जाता है, ताकि जमाखोरी, बेईमान सट्टेबाजी को हतोत्साहित किया जा सके और उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर आपूर्ति की जा सके।

(छ) मंत्रालय आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है। राज्यों को इस अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्य सरकारों को स्टॉक की निगरानी करने, स्टॉक प्रकटीकरण मानदंडों को लागू करने और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए एडवाइजरी जारी की जाती हैं। मंत्रालय राज्यों के साथ समन्वय में उपलब्धता और मूल्य की स्थिति की समीक्षा भी करता है, ताकि निवारक और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके, जिसमें कृत्रिम कमी को रोकने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए चयनित वस्तुओं पर स्टॉक सीमा लगाना भी शामिल है।

*****